न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0

GCMS No.2020/00133 (Bank Case)
Manual no- 46/2020

"यूको बैंक" प्रधान कार्यालय 10 वि.त्रै. म. सरणी, (ब्रेबोर्न रोड़) कोलकाता स्थित व कार्यरत है । एवं एक शाखा कार्यालय–शॉपिंग सेन्टर (0591), कोटा जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह

—— प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स अल्फा सोल्यूशन्स जरिये प्रोपराइटर स्व. पंकज जैन पुत्र कोमल सिंह सिसोदिया कानूनी उत्तराधिकारी कीर्ति शर्मा (ऋणी)
   पता–4 जे 12 , तलवंडी, कोटा राजस्थान–324005
2. श्री कोमल सिंह सिसोदिया पुत्र श्री नन्द लाल सिसोदिया (जमानती/ बंधककर्ता)
   पता– 4 जे 12 , तलवंडी, कोटा राजस्थान–324005

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:–
श्री अमर सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 26.08.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी "यूको बैंक" प्रधान कार्यालय 10 वि.त्रै. म. सरणी, (ब्रेबोर्न रोड़) कोलकाता स्थित व कार्यरत है एवं एक शाखा कार्यालय–शॉपिंग सेन्टर (0591), कोटा में स्थित है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 26.12.2017 को 10,50,000/– (अक्षरे: दस लाख पचास हजार मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी संख्या 2 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **बंधक अचल सम्पत्ति श्री कोमल सिंह सिसोदिया पुत्र स्व0 नन्दलाल सिसोदिया की आवासीय सम्पत्ति जो कि फ्लेट नं. 403 ब्लॉक नं. डी. 2, चतुर्थ तल महालक्ष्मी पुरम, बारां रोड़,कोटा पर स्थित है जिसमें भूमि , भवन व ढांचा आदि सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 448 वर्ग फीट है। जिसकी चर्तु: सीमा में–आम मार्ग, ब्लॉक नं. डी2, फ्लेट नं0 402, दक्षिण में– ब्लॉक के.,डी. एवं ई. के बीच आम जगह, पूर्व में– ब्लॉक नं. डी 1, फ्लेट नं. 404, पश्चिम में– ब्लॉक नं. डी 2, फ्लेट नं. 404 के नाम जारी किया गया है ।**

को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक. 31.10.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी उसके खाते मे 10,70,373.70 (अक्षरे: दस लाख, सतर हजार तीन सौ तिहतर रूपये सत्तर पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 01.01.2020 तक शेष देय है (जिसमें दिनांक 30.09.2019 तक का ब्याज सम्मिलित है) आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 02.01.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही

2

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

Scanned by CamScanner

संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 02.01.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 02.01.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया । अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता की **बंधक अचल सम्पत्ति श्री कोमल सिंह सिसोदिया पुत्र स्व0 नन्दलाल सिसोदिया की आवासीय सम्पत्ति जो कि फ्लेट नं. 403 ब्लॉक नं. डी. 2, चतुर्थ तल महालक्ष्मी पुरम, बारां रोड़,कोटा पर स्थित है जिसमें भूमि , भवन व ढांचा आदि सम्पति क अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 448 वर्ग फीट है। जिसकी चर्तुः सीमा में–आम मार्ग, ब्लॉक नं. डी2, फ्लेट नं0 402, दक्षिण में– ब्लॉक के.,डी. एवं ई. के बीच आम जगह, पूर्व में– ब्लॉक नं. डी 1, फ्लेट नं. 404, पश्चिम में– ब्लॉक नं. डी 2, फ्लेट नं. 404 के नाम जारी किया गया है** । का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 26.08.2020 को सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

Scanned by CamScanner